मॉडल महिला-हितैषी ग्राम पंचायतें

समावेशी और परिवर्तनकारी स्थानीय शासन के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन

2026

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

सशक्त पंचायत सतत विकास

UNFPA

मॉडल महिला-हितैषी ग्राम पंचायतें

समावेशी और परिवर्तनकारी स्थानीय शासन के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन

2026

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

सशक्त पंचायत सतत विकास

UNFPA

प्रस्तावना

मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायतों का संकलन स्थानीय शासन में महिलाओं को केंद्र में रखने वाले परिवर्तनकारी सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण एवं प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह देशभर से विविध, नवाचारी एवं पुनरुत्पादनीय मॉडलों को प्रस्तुत करता है, जो दर्शाते हैं कि पंचायतें समावेशी योजना, सामुदायिक सहभागिता एवं योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लैंगिक असमानताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण को समग्र रूप से बढ़ावा दे सकती हैं।

इस संकलन में उल्लिखित प्रथाएँ जैसे- महिला सभाओं को सशक्त बनाना, लैंगिक संवेदनशील योजना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों को सुदृढ़ करना, यह स्पष्ट करती हैं कि विकेन्द्रीकृत शासन सामाजिक परिवर्तन को गति देने में कितना प्रभावी है। ये पहलें यह भी दर्शाती हैं कि जब महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय निर्माण और सक्रिय भागीदारी में सशक्त किया जाता है, तब पंचायतें अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और न्यायसंगत संस्थाओं के रूप में विकसित होती हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, यह संकलन राज्यों, पंचायतों एवं विकास कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाए जा सकने वाले व्यवहारिक एवं विस्तार योग्य मॉडल प्रदान करता है। यह स्थानीयकरण सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के व्यापक ढांचे के अंतर्गत महिला हितैषी ग्राम पंचायतों के निर्माण के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास समावेशी हो और कोई भी पीछे न छूटे।

पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर लैंगिक परिवर्तनकारी शासन को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा है कि यह संकलन सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करेगा और देशभर में सशक्त, समावेशी एवं सुदृढ़ ग्रामीण समुदायों के निर्माण की दिशा में प्रगति को और तेज करेगा।

विवेक भारद्वाज
सचिव
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावना

मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायतों का संकलन पंचायती राज संस्थाओं की उस परिवर्तनकारी क्षमता का सशक्त उदाहरण है, जो जमीनी स्तर पर लैंगिक संवेदनशील और समावेशी शासन को आगे बढ़ाती है। इस संकलन में प्रस्तुत विविध सर्वोत्तम प्रथाएँ यह दर्शाती हैं कि स्थानीय स्तर पर विकसित नवाचार, जब सामुदायिक सहभागिता और संस्थागत अभिसरण के साथ जुड़ते हैं, तो वे गहराई से जड़ जमाए लैंगिक असमानताओं को प्रभावी रूप से संबोधित करते हुए महिलाओं और बालिकाओं के लिए सशक्त वातावरण का निर्माण करते हैं।

इस संकलन में दर्शाए गए अनुभव जैसे- महिला सभाओं को सुदृढ़ करना, लैंगिक संवेदनशील योजना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, यह स्पष्ट करते हैं कि सतत विकास तभी संभव है जब महिलाओं को शासन प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाए। ये पहलें कल्याण आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती हैं, जहाँ महिलाएँ परिवर्तन की सक्रिय भागीदार और सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरती हैं।

यह संकलन केवल सफल हस्तक्षेपों का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि उनके पुनरुत्पादन और विस्तार के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका भी है। यह राज्यों, जिलों और स्थानीय सरकारों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप इन मॉडलों को अपनाने के लिए उपयोगी एवं क्रियाशील मार्गदर्शन प्रदान करता है।

पंचायती राज मंत्रालय महिला हितैषी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु क्षमता निर्माण, नीतिगत समर्थन तथा सतत ज्ञान साझेदारी के माध्यम से अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा है कि इस संकलन से प्राप्त अनुभव देशभर की पंचायतों को समावेशी शासन को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में प्रगति को तीव्र करते हुए प्रत्येक महिला और बालिका के लिए गरिमा, समानता और अवसर सुनिश्चित करेंगे।

सुशील कुमार लोहानी
अपर सचिव
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

प्राक्कथन	1
उसके लिए एक पंचायत: समावेशी शासन का किशोरीनगर मॉडल	9
खेतों से बाज़ार तक: जोरहाट ग्राम पंचायत में महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण	11
लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के माध्यम से सपनों का निर्माण	13
डिजिटल शासन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को गति	15
शी हाट' के माध्यम से महिला-नेतृत्वित उद्यमिता द्वारा परिवर्तन	17
शिक्षा, सशक्तिकरण और उन्नति: एक ग्राम पंचायत की परिवर्तन यात्रा	19
हल्लिखेड़ा का समेकित मॉडल	22
समानता के लिए बजट: लैंगिक-उत्तरदायी योजना के माध्यम से	24
ईशानगर की महिला-केंद्रित शासन की यात्रा	27
महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता	29

बाधाओं से उपलब्धियों तक: महिला हितेषी ग्राम पंचायत का निर्माण 31

जब महिलाएँ नेतृत्व करती हैं, तो समुदाय आगे बढ़ता है: शासन परिवर्तन में महिला सभाओं की शक्ति 33

समेकित विकास पहलों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण 35

संकल्प से प्रभाव तक: महिला हितेषी ग्राम पंचायत का निर्माण 38

सुरक्षित स्थान, मजबूत आवाज़ें: महिलाओं के अनुकूल पंचायत की ओर रारह की यात्रा 40

सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा 43

असुरक्षा से आवाज़ तक: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की ओर पंचायत की यात्रा 45

महिलाओं के नेतृत्व से परिवर्तन की दिशा 47

महिला सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य और शून्य अपशिष्ट की दिशा में परिवर्तन 50

प्राक्कथन

स्थानीय शासन सतत विकास की आधारशिला है और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सहभागी योजना निर्माण, समावेशी निर्णय-प्रक्रिया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वयन रणनीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
एसडीजी के स्थानीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की पहलें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और समुदायों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा उनके जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति संवेदनशील हों।

पंचायती राज संस्थाओं को क्षेत्र-विशिष्ट समाधान अपनाने के लिए सशक्त बनाकर स्थानीय शासन विकास में मौजूद अंतराल को प्रभावी रूप से दूर कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से पीछे न रह जाए।

जमीनी स्तर पर एसडीजी के क्रियान्वयन को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए मंत्रालय ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को नौ विषयगत क्षेत्रों में समाहित किया है। इससे पंचायतों को विकास योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनके परिणामों की निगरानी करने के लिए एक व्यावहारिक ढाँचा प्राप्त होता है।

इनमें से नवां विषय "महिला हितेषी पंचायतों का निर्माण" पर केंद्रित है। यह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन के केंद्र में लैंगिक समानता और समावेशिता को स्थापित करना है।

महिला हितेषी ग्राम पंचायत (WFGP) की स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं, लड़कियों और अन्य कमजोर वर्गों की आवाज़, चिंताएँ और अनुभव ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल हों। इससे शासन अधिक उत्तरदायी और सहभागी बनता है।

महिला हितेषी ग्राम पंचायतों के प्रमुख उद्देश्य

- **शासन में लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना** : सभी विकास योजनाओं और पहलों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना, ताकि पंचायतें लैंगिक असमानताओं को दूर कर सकें, लैंगिक आधारित हिंसा से निपट सकें और बाल विवाह तथा लिंग आधारित भेदभाव जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में काम कर सकें।

- **महिला नेताओं को सशक्त बनाना :** जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना, ताकि निर्णय-प्रक्रिया में समावेशिता बढ़े, शासन में समानता सुनिश्चित हो और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही मजबूत हो।

- **सामुदायिक सोच में परिवर्तन :** महिला हितेषी पंचायतें परिवार और समुदाय में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका और महत्व के प्रति सोच को बदलने में मदद करती हैं। इससे विकास से जुड़ी पहलों में उनकी भागीदारी और दृश्यता बढ़ती है।

- **उत्तरदायी विकास योजना :** जब ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में महिलाओं और लड़कियों की प्राथमिकताओं को शामिल किया जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा और हिंसा से संरक्षण जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश सुनिश्चित होता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के साथ मिलकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिला हितेषी ग्राम पंचायत पहल को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया।

इन राज्यों में इस पहल के प्रारंभिक अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ कि यह पहल भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समुदाय की संवेदनशीलता को मजबूत करने में प्रभावी रही।

इन सकारात्मक परिणामों को देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने इस पहल को देश के प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत तक विस्तार देने का निर्णय लिया, ताकि समावेशी शासन के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर देशभर की 770 ग्राम पंचायतों ने महिला हितेषी ग्राम पंचायत पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

इस पहल के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर की महिला हितेषी ग्राम पंचायतों से उभर रही नवाचारी पहलों और दोहराए जा सकने वाले मॉडलों को दस्तावेज़ करने के लिए अच्छी प्रथाओं का एक संकलन (Compendium) तैयार करने का निर्णय लिया।

इस संकलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला और बालिका अनुकूल पंचायतों के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रस्तुत करना है, जैसे—

- **शासन :** निर्णय-प्रक्रिया और योजना निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना।
- **स्वास्थ्य और पोषण :** रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण से जुड़ी पहलों तक पहुँच बढ़ाना।

- **आर्थिक सशक्तिकरण :** महिलाओं के लिए उद्यमिता, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना।
- **शिक्षा और कौशल विकास :** सीखने और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान अवसर सुनिश्चित करना।
- **सुरक्षा और संरक्षण :** लैंगिक आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम करना तथा सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना।

सर्वोत्तम प्रथाओं, ठोस परिणामों और नवाचारी पहलों को प्रस्तुत करके यह संकलन पंचायतों, नीति-निर्माताओं और विकास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है, ताकि स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक समावेशी, लैंगिक संवेदनशील और वास्तविक रूप से परिवर्तनकारी बनाया जा सके।

उसके लिए एक पंचायत: समावेशी शासन का किशोरीनगर मॉडल

किशोरीनगर ग्राम पंचायत, केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समेकित शासन का मॉडल

ग्राम पंचायत का नाम: किशोरीनगर

नाम: श्रीमती रीता धाली

जिला: नॉर्थ एंड मिडल अंडमान

ब्लॉक: डिगलीपुर

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 3,027

सरपंच / ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम

श्रीमती रीता धाली

चुनौतियाँ

महिला हितेषी ग्राम पंचायत पहल शुरू करने से पहले किशोरीनगर ग्राम पंचायत को कई संरचनात्मक और स्थानीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख चुनौतियाँ थीं:

प्रतिबंधात्मक सामाजिक मान्यताएँ: गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच और भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं की सार्वजनिक मंचों पर भागीदारी सीमित थी। कई महिलाएँ पुरुषों और पुरुष नेतृत्व की उपस्थिति में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और घरेलू सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने में हिचकिचाती थीं।

- **स्वास्थ्य और शिक्षा में संचालन संबंधी चुनौतियाँ:** बिखरी हुई बस्तियों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की लगातार निगरानी के लिए काफी मैनुअल समन्वय की आवश्यकता होती थी। दूरस्थ और फैली हुई आबादी के कारण पूर्ण टीकाकरण, स्कूल में नामांकन और बच्चों की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था।
- **समन्वय की कमी:** विभिन्न विभागों के बीच सीमित समन्वय और विभागीय कर्मचारियों पर पंचायत का सीमित नियंत्रण होने के कारण सेवाओं का प्रभावी एकीकरण और निरंतर सेवा प्रदान करना कमजोर था।
- **भौगोलिक दूरस्थता:** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित होने के कारण पंचायत को संपर्क और लॉजिस्टिक से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक पहुँच, स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल बैंकिंग, और चिकित्सा संसाधनों की नियमित आपूर्ति प्रभावित होती थी।

प्रमुख पहल

उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए सरपंच श्रीमती रीता धाली और वार्ड सदस्यों के नेतृत्व में पंचायत ने समुदाय आधारित समेकित रणनीतियाँ अपनाईं:

- नियमित महिला सभाओं का आयोजन: महिलाओं को अपनी जरूरतों और समस्याओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से महिला सभाएँ आयोजित की गईं। यहाँ उठाए

गए मुद्दों को बाद में ग्राम सभा की बैठकों में शामिल किया गया।

- घर-घर संपर्क अभियान: प्रधान और वार्ड सदस्यों ने स्कूल उपस्थिति रजिस्टर और मातृ-शिशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा कर कमियों की पहचान की। इसके आधार पर उन्होंने घर-घर जाकर विशेष अभियान चलाए ताकि स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों का पुनः नामांकन हो सके और महिलाओं व लड़कियों की स्वास्थ्य शिविरों और टीकाकरण कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाई जा सके।
- स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम: मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मिथकों को दूर करने और सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
- विभागीय समन्वय को मजबूत करना: स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के साथ सहयोग बढ़ाकर सेवाओं की बेहतर और समन्वित आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया। ये समूह केवल वित्तीय समावेशन के मंच नहीं रहे, बल्कि सामुदायिक निगरानी और सामाजिक जवाबदेही के साधन भी बने। इन समूहों ने पंचायत के ODF दर्जे को बनाए रखने और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्राप्त परिणाम

पंचायत के केंद्रित और समावेशी प्रयासों से सामाजिक विकास के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए:

- डेटा आधारित जवाबदेही: टीकाकरण रिकॉर्ड और स्कूल उपस्थिति रजिस्टर की नियमित समीक्षा से कमजोर और जोखिम वाले परिवारों की समय पर पहचान हुई और त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए गए।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार: नियमित स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से पंचायत में सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित हुआ और 100% संस्थागत प्रसव संभव हुए, जिसके परिणामस्वरूप मातृ और शिशु मृत्यु दर शून्य रही।
- स्कूलों में बच्चों की निरंतरता: स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की व्यवस्थित निगरानी और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की देखरेख से विशेष रूप से लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति और निरंतरता सुनिश्चित हुई। इससे पंचायत क्षेत्र में बाल श्रम को प्रभावी रूप से समाप्त करने में मदद मिली।
- स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार में सुधार: स्वच्छता योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से 100% शौचालय उपयोग सुनिश्चित हुआ, पंचायत को ODF दर्जा मिला और महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं गरिमा में सुधार हुआ।
- सामुदायिक सशक्तिकरण: महिला सभाओं ने महिलाओं के लिए सुरक्षित मंच तैयार किया, जहाँ वे अपनी समस्याएँ खुलकर रख सकीं। इससे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी और समावेशी शासन को मजबूती मिली।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

किशोरीनगर का महिला हितेषी आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में उभरना काफी हद तक श्रीमती रीता धाली के नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने निम्न गुणों का प्रदर्शन किया:

- लैंगिक समावेशी दृष्टिकोण
- सक्रिय और क्षेत्र-आधारित नेतृत्व
- विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना

सरपंच की टिप्पणी

हर लड़की को स्कूल में बनाए रखना केवल शिक्षा का लक्ष्य नहीं है-यह गरिमा और अवसर में निवेश है, जो स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाता है। जब शासन समावेशी और संवेदनशील होता है, तब एक पंचायत केवल प्रशासनिक संस्था नहीं रहती, बल्कि वास्तव में एक उत्तरदायी और महिला हितेषी संस्था बन जाती है।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

खेतों से बाज़ार तक: जोरहाट ग्राम पंचायत में महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण

ग्राम पंचायत: जोरहाट

राज्य: असम

जिला: जोरहाट

ब्लॉक: सेंट्रल जोरहाट

पंचायत की जनसंख्या: 8881

सरपंच का नाम:
श्रीमती रूमी चेतिया

चुनौतियाँ

ग्राम पंचायत में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इनमें प्रमुख चुनौतियाँ थीं:

- आर्थिक अस्थिरता और पुरुष सदस्यों पर निर्भरता, जिससे महिलाओं की स्वायत्तता सीमित रहती थी।
- परिवहन और संचार ढाँचे की कमी के कारण बाजार तक पहुँच सीमित थी।
- गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच, जो महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में आगे बढ़ने से हतोत्साहित करती थी।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और क्लस्टर स्तरीय संघों (CLFs) के बीच कमजोर सहयोग, जिससे महिलाओं की पहल का विस्तार और स्थिरता प्रभावित होती थी।

मुख्य पहलें

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्राम पंचायत ने महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई लक्षित पहलें शुरू कीं।
- अपना खेत–अपना बाज़ार पहल: इस पहल के तहत महिलाओं को केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर सीधे बाजार से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।इससे महिलाओं को पूरी मूल्य श्रृंखला (उत्पादन से लेकर बिक्री तक) पर स्वामित्व मिला, बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई और उनकी आय में वृद्धि हुई।
- बाज़ार आधारित उत्पादन निर्णय : बाज़ार की मांग, कीमतों और संभावित खरीदारों को समझने के लिए विस्तृत बाज़ार सर्वेक्षण और विश्लेषण किए गए। महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया गया कि वे अपने उत्पादों का उत्पादन बाज़ार की मांग के अनुसार करें, जिससे बिक्री और लाभ की संभावनाएँ बढ़ सकें।
- असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के माध्यम से क्षमता विकास : पंचायत ने ASRLM के साथ सहयोग स्थापित किया, जिसके माध्यम से महिलाओं को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया जैसे उत्पादन तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, व्यवसाय प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता इससे महिलाओं की कौशल क्षमता बढ़ी और उनमें आत्मविश्वास भी विकसित हुआ।
- बुनियादी ढाँचे में सुधार : CSC अनुदानों के माध्यम से परिवहन और संचार ढाँचे में सुधार किया गया, जैसे बेहतर सड़कें, गोदाम और भंडारण सुविधाएँ और मोबाइल और संचार सुविधाओं की उपलब्धता इन सुधारों से महिलाओं को उत्पादों का परिवहन करने, बाजार की जानकारी प्राप्त करने और खरीदारों से संपर्क बनाए रखने में सुविधा हुई।
- स्वयं सहायता समूहों और बैंकों से जुड़ाव मजबूत करना : ग्राम पंचायत ने SHGs के बीच सहयोग को मजबूत किया और उन्हें बैंकों से जोड़ने में सहायता की। इससे महिलाओं को ऋण प्राप्त करने, निवेश की योजना बनाने और अपने उद्यमों का

विस्तार करने में मदद मिली।

- मार्गदर्शन और सहयोग : महिला उद्यमियों को पंचायत और स्थानीय मार्गदर्शकों से निरंतर सलाह और सहयोग मिला, जिससे वे चुनौतियों का समाधान कर सकें और नेतृत्व कौशल विकसित कर सकें।

परिणाम

इन पहलों के परिणामस्वरूप महिलाओं और पूरे समुदाय पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए।

- आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता : कई महिलाओं ने "अपना खेत–अपना बाज़ार" पहल के माध्यम से अपने उद्यम स्थापित किए। उदाहरण के तौर पर मिनिमा बोर्पात्रा ने "मिनिमा प्रोडक्शन" नाम से एक सफल उद्यम स्थापित किया। उत्पादन से लेकर बाजार तक की प्रक्रिया पर नियंत्रण होने से महिलाओं की आय स्थिर हुई और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी।
- बाजार तक बेहतर पहुँच : बाज़ार आधारित उत्पादन और बेहतर परिवहन तथा संचार ढाँचे के कारण महिलाओं को स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों तक पहुँच मिली। इससे वे अपनी ग्राहक संख्या बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने में सफल रहीं।
- कौशल विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि : ASRLM के प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने महिलाओं की व्यावसायिक कौशल, समस्या समाधान क्षमता और नेतृत्व गुणों को मजबूत किया।
- सामूहिक सहयोग और वित्तीय समर्थन : SHGs और बैंक से जुड़ाव मजबूत होने से महिलाओं को ऋण और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति मिली, जिससे वे उत्पादन बढ़ाने और अपने उद्यमों का विस्तार करने में सक्षम हुईं।
- सामुदायिक परिवर्तन और नेतृत्व का विकास : मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से महिलाओं ने चुनौतियों का सामना करना सीखा और कई महिलाएँ नेतृत्व की भूमिका में आगे आईं। इससे पंचायत में एक नई संस्कृति विकसित हुई, जहाँ अधिक महिलाएँ उद्यमिता की ओर प्रेरित हुईं।
- रोजगार के अवसरों का सृजन : महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए, जिससे पूरे समुदाय की आजीविका मजबूत हुई।

सरपंच का नेतृत्व

सरपंच रूमी चेतिया ने दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व का परिचय दिया है।

उन्होंने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सीमित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं को सक्रिय रूप से संबोधित किया। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना, बैंक से जुड़ाव बढ़ाना और बाजार से जुड़ा बुनियादी ढाँचा विकसित करना उनके व्यावहारिक और प्रतिबद्ध नेतृत्व को दर्शाता है।

सरपंच की दृष्टि

मजबूत स्वयं सहायता समूह नेटवर्क, बैंकिंग सहयोग, कौशल विकास और बाजार से जुड़ा बुनियादी ढाँचा-ये सभी मिलकर महिलाओं की आर्थिक क्षमता को उजागर करते हैं। जब महिलाओं को ये अवसर मिलते हैं, तो वे आत्मविश्वास प्राप्त करती हैं, नेतृत्व विकसित करती हैं और स्थायी आजीविका बनाकर पूरे समुदाय में परिवर्तन लाती हैं।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के माध्यम से सपनों का निर्माण

नोनगढ़ ग्राम पंचायत, राज्य: बिहार

लैंगिक आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं का समाधान

ग्राम पंचायत का नाम: नोनगढ़

जिला: लखीसराय

ब्लॉक: रामगढ़ चौक

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 11,977

मुखिया का नाम:
श्रीमती जुली देवी

चुनौतियाँ

ग्राम पंचायत को लड़कियों और युवा महिलाओं के अधिकारों तथा उनके कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- बाल विवाह की उच्च दर: क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाएँ काफी अधिक थीं। परिवारों को समझाकर बाल विवाह रोकने के प्रयास अक्सर कठिनाइयों से भरे होते थे।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण कई अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते थे, जिससे उनकी शिक्षा के अवसर सीमित हो जाते थे।
- गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक मान्यताएँ: पारंपरिक सोच और सामाजिक मानदंडों के कारण लड़कियों को खेलकूद और बाहरी गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित किया जाता था, जिससे उनका आत्मविश्वास और समग्र विकास प्रभावित होता था।

प्रमुख पहल

इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्राम पंचायत ने श्रीमती जुली देवी के नेतृत्व में समुदाय आधारित लक्षित पहलें शुरू कीं:

- बाल विवाह रोकथाम अभियान: घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाए गए, अभिभावकों को परामर्श दिया गया, शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित किया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाकर बाल विवाह रोकने का प्रयास किया गया।
- लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा: इसके तहत स्कूल जाने के लिए समूह में यात्रा की व्यवस्था, उपस्थिति की नियमित निगरानी और स्थानीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने जैसे कदम उठाए गए, ताकि लड़कियाँ नियमित रूप से स्कूल जा सकें।
- खेल और सशक्तिकरण कार्यक्रम: पंचायत ने खेल के मैदान विकसित किए, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और योग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे लड़कियों में आत्मविश्वास, टीमवर्क और शारीरिक विकास को प्रोत्साहन मिला।

परिणाम

इन निरंतर प्रयासों से महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए:

- बाल विवाह का उन्मूलन: पंचायत ने बाल विवाह की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, जिससे लड़कियों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित हुए।
- शिक्षा में बढ़ती भागीदारी: अब लड़कियाँ नियमित रूप से स्कूल

जाती हैं और कई उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। यह समुदाय में लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का संकेत है।

- आत्मविश्वास और अवसरों में वृद्धि: लड़कियाँ अब खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी हैं, और कई ने जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुँचकर अपनी प्रतिभा, दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है।

मुखिया के नेतृत्व के गुण

श्रीमती जुली देवी एक सहानुभूतिपूर्ण, समावेशी और दूरदर्शी नेता हैं। वे महिलाओं को सशक्त बनाने, शिक्षा को बढ़ावा देने, पारदर्शिता को मजबूत करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उनके प्रयासों से समुदाय में विश्वास और स्थायी परिवर्तन की मजबूत नींव बनी है।

मुखिया की सलाह

मेरा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं और लड़कियों को जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। हमारे पंचायत की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब बेटियों और बेटों को समान दृष्टि से देखा जाए। आज लड़कियों को सशक्त बनाना, कल एक मजबूत और अधिक समानतापूर्ण समाज की नींव रखेगा।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

डिजिटल शासन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को गति

मोरैया ग्राम पंचायत, राज्य: गुजरात समेकित शासन का मॉडल

ग्राम पंचायत का नाम: मोरैया

जिला: अहमदाबाद

ब्लॉक: मोरैया

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 6,783

सरपंच / ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम:
श्रीमती जयंश्री बेन बिकाभाई दयमा

चुनौतियाँ

ग्राम पंचायत को विकास और शासन से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इनमें प्रमुख चुनौतियाँ थीं:

- सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के प्रति सीमित जागरूकता: विशेष रूप से महिलाओं में इन सेवाओं की जानकारी कम होने के कारण वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती थीं और सामाजिक असुरक्षाएँ बनी रहती थीं।
- कम राजस्व संग्रह: कर भुगतान की मैनुअल व्यवस्था समय लेने वाली, कम पारदर्शी और नागरिकों के लिए असुविधाजनक थी, जिसके कारण कर संग्रह कम हो रहा था।
- महिलाओं में स्वास्थ्य सेवाएँ लेने की कम प्रवृत्ति: इसके परिणामस्वरूप मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा था और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच भी सीमित थी।
- महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएँ: सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या थी।
- इन सभी चुनौतियों ने मिलकर समावेशी विकास और प्रभावी स्थानीय शासन में बाधा उत्पन्न की।

प्रमुख पहल

सरपंच श्रीमती जयंश्री बेन बिकाभाई दयमा के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्राम पंचायत ने कई लक्षित और रणनीतिक पहलें लागू कीं:

- शासन और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना : कम राजस्व संग्रह और पारदर्शिता की समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत ने ऑनलाइन कर भुगतान पोर्टल विकसित कर उसे लागू किया। इससे नागरिक अब आसानी और समय पर कर भुगतान कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल जागरूकता भी बढ़ाई गई।
- महिलाओं का सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन : महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पंचायत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया। छोटे उद्यमों और घर आधारित आजीविका गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान किया गया तथा महिलाओं और युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार : महिलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए गर्भावस्था की प्रारंभिक पंजीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया तथा पोषण, स्वच्छता और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर

जागरूकता अभियान चलाए गए।

- सुरक्षा को सुदृढ़ करना : सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गईं और संकट की स्थिति में महिलाओं की सहायता के लिए समुदाय आधारित आपात सहायता तंत्र स्थापित किए गए।

प्राप्त परिणाम

ग्राम पंचायत द्वारा किए गए इन प्रयासों से कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त हुए:

- शासन में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि, डिजिटल कर भुगतान प्रणाली के कारण।
- राजस्व संग्रह में वृद्धि, क्योंकि अब नागरिक आसानी और समय पर कर भुगतान कर पा रहे हैं।
- स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार, विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में वृद्धि।
- महिलाओं की सुरक्षा और आवाजाही में सुधार, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और सामुदायिक सहायता तंत्र के कारण।
- सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि, विशेष रूप से स्थानीय विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी।

समग्र रूप से, यह ग्राम पंचायत अब एक अधिक उत्तरदायी, समावेशी और जवाबदेह स्थानीय शासन संस्था के रूप में विकसित हुई है।

ग्राम पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व के गुण

इन उपलब्धियों के पीछे श्रीमती जयंश्री बेन बिकाभाई दयमा का मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच प्रमुख रही है। उनके नेतृत्व की मुख्य विशेषताएँ हैं:

- महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता
- पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक कार्यप्रणाली
- सहभागी निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देना
- समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति सक्रिय जुड़ाव
- सतत और तकनीक आधारित विकास पर ध्यान

ग्राम पंचायत अध्यक्ष की सलाह

सरपंच अन्य स्थानीय नेताओं को निम्न सुझाव देती हैं:

- शासन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- पारदर्शिता और बेहतर सेवा वितरण के लिए डिजिटल प्रणालियों को अपनाएँ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और कौशल विकास को प्राथमिकता दें।
- महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दें।
- उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें।

डिजिटल प्रसार
(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

शी हाट' के माध्यम से महिला-नेतृत्वित उद्यमिता द्वारा परिवर्तन

बाग पशोग ग्राम पंचायत, राज्य: हिमाचल प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण

ग्राम पंचायत का नाम: बैग पशोग

जिला: पच्छाद

ब्लॉक: सिरमौर

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 1,966

सरपंच का नाम:
राजेश्वरी शर्मा

चुनौतियाँ

ग्राम पंचायत की महिलाओं को गहरे जड़ जमाए हुए संरचनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोधों का सामना करना पड़ रहा था, जो उनकी उद्यमिता क्षमता और नेतृत्व में भागीदारी को सीमित करते थे। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश महिलाएँ आर्थिक रूप से आश्रित बनी हुई थीं।

हालाँकि वे घरेलू कार्यों और कृषि श्रम में महत्वपूर्ण योगदान देती थीं, फिर भी बहुत कम महिलाओं को औपचारिक रोजगार, उद्यमिता के अवसर या बाज़ार से जुड़ी गतिविधियों तक पहुँच मिल पाती थी। प्रमुख चुनौतियाँ थीं:

- कम आत्मविश्वास और नेतृत्व के सीमित अवसर, जिसके कारण शासन और आर्थिक निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी बहुत कम थी।
- सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी पर प्रतिबंध।
- कौशल विकास और बाज़ारों तक सीमित पहुँच।
- महिला-नेतृत्वित उद्यमों के लिए संस्थागत समर्थन और ऋण सुविधाओं का अभाव।
- ग्राम पंचायत के भीतर सुरक्षित और सहयोगी कार्यस्थलों की कमी।

प्रमुख पहल

श्रीमती राजेश्वरी शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्राम पंचायत ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की रणनीति अपनाई, जिसमें उद्यमिता को महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बनाया गया।

इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर 'शी हाट परियोजना' को मजबूत किया गया। यह एक महिला-नेतृत्वित पहल है जिसमें ग्रामीण हाट / बाज़ार संचालित किए जाते हैं।

संगठित प्रयासों के माध्यम से शी हाट सुविधा परियोजना को एक टिकाऊ महिला-नेतृत्वित व्यावसायिक तंत्र में बदल दिया गया। यह केवल सड़क किनारे की सुविधा न रहकर एक सुव्यवस्थित उद्यमिता मंच बन गया, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है।

इस पहल के प्रमुख घटक थे:

- स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली महिलाओं द्वारा संचालित खुदरा दुकानें।
- सामुदायिक रसोई, जो प्रतिदिन आय का स्रोत बनती हैं।
- महिला उद्यमियों द्वारा संचालित और प्रबंधित अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) सुविधाएँ।

- पर्यटन की मांग के अनुरूप बाज़ार उन्मुख उत्पादन।

इस पहल का संचालन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया गया, जिन्हें व्यवसाय प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया था।

इसके कार्यान्वयन में नाबार्ड (NABARD), मनरेगा (MGNREGA), स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया, जिससे वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत सहयोग सुनिश्चित हुआ।

परिणाम

महिलाओं पर केंद्रित इस उद्यमिता मॉडल से महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त हुए। महिलाएँ केवल लाभार्थी नहीं रहीं, बल्कि प्रबंधक और आय सृजनकर्ता बनकर उभरीं।

- शी हाट की कुल बिक्री 1.3 करोड़ रुपये तक पहुँची, जो महिलाओं द्वारा संचालित ग्रामीण उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाती है।
- महिला उद्यमियों को दुकानों, सामुदायिक रसोई और अतिथि गृह संचालन के माध्यम से स्थायी आय प्राप्त होने लगी।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, पुरुष परिवार सदस्यों पर निर्भरता में कमी और घरेलू निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका में बढ़ोतरी।
- शासन मंचों में महिलाओं की अधिक भागीदारी, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास और सार्वजनिक उपस्थिति को दर्शाती है।

ग्राम पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व के गुण

श्रीमती राजेश्वरी शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व ने ग्राम पंचायत को एक महिला हितेषी और समावेशी शासन मॉडल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता।
- स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत बनाना।
- अधिकतम प्रभाव के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय को सुनिश्चित करना।
- महिला उद्यमिता को समर्थन देना और टिकाऊ आजीविका तंत्र विकसित करना।
- शासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

उनके नेतृत्व ने एक आदर्श महिला-हितेषी ग्राम पंचायत के संस्थागत निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।

ग्राम पंचायत अध्यक्ष के विचार

प्रधान श्रीमती राजेश्वरी शर्मा अन्य स्थानीय नेताओं को निम्न सुझाव देती हैं:

- महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास कार्यक्रमों, शासन और आय सृजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लचीले कार्य समय और परिवार-अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाओं का समन्वय और सामुदायिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

शिक्षा, सशक्तिकरण और उन्नति: एक ग्राम पंचायत की परिवर्तन यात्रा

सिलवे ग्राम पंचायत, राज्य: झारखंड शिक्षा और कौशल विकास

ग्राम पंचायत का नाम: सिलवे

जिला: रांची

ब्लॉक: नामकुम

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 7,695

सरपंच का नाम:
श्रीमती नूतन पाहन

चुनौतियाँ

महिला-हितेषी ग्राम पंचायत पहल शुरू करने से पहले सिलवे ग्राम पंचायत की महिलाओं और लड़कियों को तीन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ये सभी चुनौतियाँ शिक्षा और अवसरों की कमी से गहराई से जुड़ी हुई थीं।

- लड़कियों में स्कूल छोड़ने की उच्च दर: स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, आवश्यक सुविधाओं की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कई लड़कियाँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थीं, जिससे उनकी आगे की शिक्षा और भविष्य के अवसर सीमित हो जाते थे।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी: कौशल विकास और स्थायी आजीविका के अवसरों तक सीमित पहुँच के कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही थीं और अपनी तथा अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करना कठिन था।
- स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में कमी: मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन-तक सीमित पहुँच के कारण महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

प्रमुख पहल

ग्राम पंचायत ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास को मजबूत करने के लिए बहु-क्षेत्रीय और शिक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया। यह पहल सरपंच श्रीमती नूतन पाहन के नेतृत्व में लागू की गई।

शिक्षा और सुरक्षा

- सात स्कूलों में बुनियादी ढाँचे का उन्नयन किया गया, जिसमें चारदीवारी का निर्माण, बेहतर पेयजल और शौचालय सुविधाएँ शामिल थीं, ताकि सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार किया जा सके।
- स्कूल प्रबंधन समितियों ने नियमित नामांकन अभियान चलाए और मिड-डे मील कार्यक्रम की निगरानी की, जिससे उपस्थिति बढ़ी और स्कूल छोड़ने की दर कम हुई।
- महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और आवाजाही बढ़ाने के लिए 40 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित की गईं तथा सार्वजनिक स्थानों की सामुदायिक निगरानी शुरू की गई, जिससे स्कूलों और सामुदायिक संस्थानों तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित हुई।

आजीविका संवर्धन

- स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को जूट उत्पाद, बाँस शिल्प, सोहराय पेंटिंग, सिलाई और अन्य कौशलों में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण उषा मार्टिन फाउंडेशन (CSR समर्थन) के सहयोग से आयोजित किया गया। इसके माध्यम से महिलाओं को छोटे व्यवसाय स्थापित करने या फैक्टरियों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली।
- कृषि और पशुपालन से जुड़ी पहलें शुरू की गईं, जिनमें मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत गाय वितरण, बकरी पालन, बतख पालन और पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देना शामिल था।
- महिलाओं को सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन दुकानें स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई।

स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा

- गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में एएनसी पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता प्रदान की गई, जिससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं, जिनमें मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसी चिकित्सा सुविधाएँ शामिल थीं।
- वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच को सरल बनाया गया, जिससे परिवारों की स्थिरता बढ़ी और बच्चों की शिक्षा जारी रखने में सहायता मिली।

प्राप्त परिणाम

ग्राम पंचायत की निरंतर और शिक्षा-केंद्रित पहल से महत्वपूर्ण और स्थायी परिणाम प्राप्त हुए:

- शिक्षा में सुधार: बेहतर बुनियादी ढाँचे और सक्रिय स्कूल प्रबंधन समितियों के कारण लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई और उनकी शिक्षा निरंतर बनी रही।
- सुरक्षित शिक्षण वातावरण: सोलर स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक निगरानी से सुरक्षा और आवाजाही में सुधार हुआ, जिससे लड़कियों की स्कूल उपस्थिति और महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ी।
- आर्थिक सशक्तिकरण: कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता, पशुपालन गतिविधियों और फैक्टरी रोजगार के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ी, जिससे वे अपने परिवार की शिक्षा और समग्र कल्याण में निवेश कर सकीं।
- मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार: समय पर स्वास्थ्य पंजीकरण, संस्थागत प्रसव और पोषण कार्यक्रमों ने स्वस्थ माताओं और बच्चों को सुनिश्चित किया।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

श्रीमती नूतन पाहन का नेतृत्व दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

- शिक्षा से प्रेरित व्यक्तिगत यात्रा: मैट्रिक के बाद कम उम्र में विवाह होने के बावजूद उन्होंने तीन बच्चों की परवरिश करते हुए अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की—जो निरंतर शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है।
- महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता: उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के रोजगार और दीर्घकालिक सशक्तिकरण को विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्राथमिकता दी।
- रणनीतिक साझेदारियाँ: उन्होंने विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया और उषा मार्टिन फाउंडेशन जैसे कॉर्पोरेट साझेदारों के साथ सहयोग स्थापित कर टिकाऊ आजीविका के अवसर पैदा किए।
- सहभागी नेतृत्व: क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और ग्रामीण महिलाओं के साथ निकट संवाद के माध्यम से उन्होंने स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

सरपंच की टिप्पणियाँ

श्रीमती नूतन पाहन अन्य महिला नेताओं को निम्न सलाह देती हैं:

- लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित विकास को प्राथमिकता दें और विशेष रूप से लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा में निवेश करें।
- महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ें ताकि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।
- यह समझें कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण पूरे समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को मजबूत बनाता है।
- महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा दें, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें और सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

हल्लिखेड़ा का समेकित मॉडल

शासन, आधारभूत संरचना और अवसरों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

हल्लिखेड़ा ग्राम पंचायत, राज्य: कर्नाटक समेकित शासन का मॉडल

ग्राम पंचायत का नाम: हल्लिखेड़ा ग्राम पंचायत

जिला: बीदर, कर्नाटक

ब्लॉक: हुमनाबाद

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 10,484

सरपंच / ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम:
शिवकुमार पाटिल

चुनौतियाँ

- शासन में महिलाओं की सीमित भागीदारी: ग्राम सभा बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति कम थी और उनके पास अपनी आवश्यकताओं तथा चिंताओं को व्यक्त करने या पंचायत स्तर के निर्णय-निर्माण को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मंच नहीं था।
- कमज़ोर शिकायत निवारण व्यवस्था: समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं के लिए समस्याओं को दर्ज कराने और समाधान पाने के प्रभावी तथा सुलभ तंत्र का अभाव था।
- महिलाओं के लिए सीमित आर्थिक अवसर: महिलाओं के पास आजीविका के बहुत कम विकल्प थे और वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुँच भी सीमित थी।
- आधारभूत संरचना की कमी: ग्राम पंचायत में महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित सामुदायिक स्थान, बाल देखभाल सुविधाएँ, सार्वजनिक शौचालय और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी सुविधाओं का अभाव था।

प्रमुख पहल

सरपंच शिवकुमार पाटिल ने महिलाओं को सशक्त बनाने और हल्लिखेड़ा को एक आदर्श महिला हितेषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया।

- शासन में महिलाओं की आवाज़ को मजबूत करना: इसके लिए नियमित महिला सभाओं का संस्थागत आयोजन सुनिश्चित किया गया, जिससे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी।
- शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना: समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं को अपनी समस्याएँ और आवश्यकताएँ प्रस्तुत करने के लिए "वॉइस बॉक्स" नामक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई।
- सामाजिक आधारभूत संरचना में निवेश: पंचायत ने महिला हितेषी सुविधाओं में निवेश किया, जिनमें शामिल हैं-
  - डिजिटल पुस्तकालय (अरिवु केंद्र), जो डिजिटल साक्षरता और सूचना तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं।
  - क्रेच (कुसिना मने), जो कामकाजी महिलाओं को बाल देखभाल सहायता प्रदान करते हैं।
  - सामुदायिक शौचालय, जो स्वच्छता, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करते हैं।
- आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा: संजिवनी पहल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को संगठित किया गया, जिससे बचत, वित्तीय समावेशन और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिला।
- संस्थागत समन्वय: विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और जिला प्रशासन के साथ सहयोग स्थापित किया गया, ताकि संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

प्राप्त परिणाम

- शासन में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि: नियमित महिला सभाओं के आयोजन से महिलाएँ ग्राम सभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं और प्रशासनिक निर्णयों में योगदान देने लगीं।
- आर्थिक भागीदारी में वृद्धि: स्वयं सहायता समूहों और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को मजबूत करने से महिलाओं की आय-सृजन गतिविधियों तक पहुँच बढ़ी।
- डिजिटल पहुँच में सुधार: डिजिटल पुस्तकालयों ने महिलाओं और लड़कियों में डिजिटल साक्षरता और रोजगार-योग्यता को बढ़ाया।
- देखभाल से जुड़ी बाधाओं में कमी: क्रेच सुविधाओं ने महिलाओं को आजीविका गतिविधियों और सामुदायिक नेतृत्व भूमिकाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया।
- सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुँच: विभिन्न विभागों के साथ सहयोग से समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी और लाभ प्राप्त करने में सुविधा हुई।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

सरपंच ने विभिन्न हितधारकों को साथ जोड़कर समन्वित कार्यप्रणाली अपनाई, जो उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। उनकी नवाचारपूर्ण रणनीतियाँ सामाजिक आधारभूत संरचना में निवेश को महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी से जोड़ती हैं, साथ ही कार्यक्रमों की रूपरेखा में लैंगिक दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से शामिल करती हैं।

सरपंच की टिप्पणी

पुस्तकालय, क्रेच और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों जैसी सामाजिक आधारभूत संरचना में निवेश केवल आवश्यक सेवाएँ प्रदान नहीं करता, बल्कि संरचनात्मक बाधाओं को भी दूर करता है। इससे महिलाएँ शासन और आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग ले पाती हैं और पूरे समुदाय की सामाजिक तथा आर्थिक संरचना मजबूत होती है।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

समानता के लिए बजट: लैंगिक-उत्तरदायी योजना के माध्यम से

महिला-हितेषी शासन को आगे बढ़ाना

एडवन्ना ग्राम पंचायत, राज्य: केरल

ग्राम पंचायत का नाम: एडवन्ना

जिला: मलप्पुरम

ब्लॉक: एरियाकोड

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 26,432

सरपंच / ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम:
सुनीरा समद

चुनौतियाँ

ग्राम पंचायत की महिलाओं को कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उनकी भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता सीमित हो रही थी।

- प्रतिबंधात्मक लैंगिक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएँ: गहरी जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण महिलाओं की ग्राम सभा बैठकों, सामुदायिक निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं और स्थानीय शासन मंचों में भागीदारी सीमित थी, जिससे विकास प्राथमिकताओं को तय करने में उनकी आवाज़ कमजोर हो जाती थी।
- आर्थिक निर्भरता और सीमित आजीविका अवसर: आय सृजन के अवसरों तक सीमित पहुँच के कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुष परिवार सदस्यों पर निर्भर रहती थीं, जिससे उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता और आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित होती थी।
- अधिकारों और योजनाओं के प्रति सीमित जागरूकता: अनेक महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और संस्थागत तंत्रों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वे सामाजिक सुरक्षा और विकास से जुड़े लाभों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाती थीं।

इन सभी चुनौतियों ने मिलकर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, स्वायत्तता और स्थानीय शासन में सार्थक भागीदारी को कमजोर किया, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर विकास प्रक्रियाओं की समावेशिता और उत्तरदायित्व प्रभावित होता था।

प्रमुख पहल

ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीरा समद के दूरदर्शी नेतृत्व में पंचायत ने कई लैंगिक-उत्तरदायी शासन पहलें लागू कीं, जिनका उद्देश्य पंचायत को एक आदर्श महिला हितेषी ग्राम पंचायत में रूपांतरित करना था।

लैंगिक-उत्तरदायी योजना और बजट व्यवस्था : पंचायत ने अपनी योजना और बजट प्रक्रियाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया। विकास निधियों को महिलाओं की आवश्यकताओं जैसे सुरक्षा, आवाजाही, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच के अनुरूप समायोजित किया गया। इस दृष्टिकोण से संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हुआ और महिलाओं की प्राथमिकताओं को स्थानीय विकास योजनाओं में व्यवस्थित रूप से शामिल किया गया।

महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना : महिलाओं की सुरक्षा को शासन की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत बुनियादी ढाँचे में सुधार और सामुदायिक निगरानी तंत्र स्थापित किए गए, जिससे महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक स्थान अधिक सुरक्षित और सुलभ बने।

सामुदायिक जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता : पंचायत ने

समुदाय-स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाए, जिनका उद्देश्य भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंडों को चुनौती देना, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और सकारात्मक सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था। इन कार्यक्रमों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी के लिए अधिक समावेशी और सहयोगी वातावरण तैयार करने में मदद की।

लैंगिक-संवेदनशील आधारभूत संरचना और कल्याणकारी हस्तक्षेप : महिलाओं की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचना और सेवाओं में लक्षित निवेश किए गए। इनमें शामिल थे-

- स्ट्रीट लाइट की स्थापना
- महिला हितेषी स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण
- शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना

इन प्रयासों से शासन को अधिक उत्तरदायी और सुलभ बनाया गया।

प्राप्त परिणाम

इन पहलों के परिणामस्वरूप महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ तथा लैंगिक-उत्तरदायी स्थानीय शासन का एक प्रभावी और विस्तार योग्य मॉडल सामने आया।

- सुरक्षा और सार्वजनिक आवाजाही में सुधार: बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सामुदायिक निगरानी तंत्र के कारण महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान अधिक सुरक्षित बने।
- शिकायत निवारण और न्याय तक पहुँच में मजबूती: बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र के कारण महिलाएँ सुरक्षा, अधिकार उल्लंघन और सेवा वितरण से जुड़ी समस्याओं को अधिक सहजता से सामने लाने लगीं।
- जागरूकता और स्वायत्तता में वृद्धि: जागरूकता कार्यक्रमों ने महिलाओं को उनके अधिकारों, योजनाओं और सरकारी लाभों के बारे में अधिक जानकारी दी, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ी।
- संसाधनों का न्यायसंगत वितरण: लैंगिक-उत्तरदायी योजना और बजट प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि पंचायत के संसाधन महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवंटित किए जाएँ।

ग्राम पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व के गुण

ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीरा समद का नेतृत्व पंचायत में लैंगिक-उत्तरदायी शासन को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

- महिलाओं के सामने मौजूद संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नेतृत्व।
- मजबूत निर्णय-निर्माण और संवाद कौशल, जिससे सामुदायिक भागीदारी और संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव हुआ।
- पंचायत शासन प्रणाली में लैंगिक-उत्तरदायी योजना और बजट प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए सक्रिय प्रयास।

- ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जो स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और सामूहिक पहल को प्रोत्साहित करे।

ग्राम पंचायत अध्यक्ष की टिप्पणी

महिला हितेषी ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए लैंगिक समानता की स्पष्ट दृष्टि आवश्यक है। इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देना, लैंगिक-उत्तरदायी योजना और बजट को अपनाना तथा सामाजिक बाधाओं को चुनौती देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समुदाय के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना जरूरी है।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

ईशानगर की महिला-केंद्रित शासन की यात्रा

ईशानगर ग्राम पंचायत, राज्य: मध्य प्रदेश

ग्राम पंचायत का नाम: ईशानगर

जिला: छतरपुर

ब्लॉक: छतरपुर

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 9,275

सरपंच / ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम:
श्रीमती निधि मिश्रा

चुनौतियाँ

एक आदर्श महिला-हितेषी ग्राम पंचायत (MWFGP) में परिवर्तन से पहले ईशानगर को गहराई से जड़ें जमाए सामाजिक मानदंडों का सामना करना पड़ रहा था, जो समावेशी भागीदारी और सेवाओं तक समान पहुँच को सीमित करते थे।

- नागरिक भागीदारी की कमी: महिलाओं में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता कम थी और योजना निर्माण तथा निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले मंचों का अभाव था, जिसके कारण वे स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो पाती थीं।
- कमज़ोर आधारभूत संरचना: अपर्याप्त स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल की सीमित उपलब्धता तथा आंतरिक सड़कों की खराब स्थिति का महिलाओं और लड़कियों पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा प्रभावित होती थी।
- सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी बाधाएँ: सुरक्षा संबंधी चिंताओं और लैंगिक-संवेदनशील सुविधाओं की कमी के कारण कई लड़कियाँ अपनी शिक्षा जारी रखने से वंचित हो जाती थीं, जिससे असमानता का चक्र बना रहता था।
- महिला नेतृत्व के प्रति प्रतिरोध: पारंपरिक सामाजिक मान्यताएँ अक्सर महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती थीं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण समावेशी शासन को लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती थीं।

प्रमुख पहल

आदर्श महिला हितेषी ग्राम पंचायत (MWFGP) पहल के अंतर्गत ईशानगर ग्राम पंचायत ने कई समेकित और लैंगिक-संवेदनशील पहलें शुरू कीं, जिनका उद्देश्य समावेशी शासन और सामुदायिक विकास को मजबूत करना था।

- भागीदारी और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना: महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया। इससे संवाद, सामूहिक निर्णय-निर्माण और जवाबदेही को बढ़ावा मिला।
- स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) सेवाओं को मजबूत किया गया, स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए गए और सुरक्षा तथा गरिमा को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक-संवेदनशील सुविधाएँ विकसित की गईं।
- लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा: स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना और लक्षित सामुदायिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति और विद्यालय में निरंतरता को बढ़ावा मिला।
- आर्थिक समावेशन को प्रोत्साहन: कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच का विस्तार, बेहतर सड़क संपर्क और विश्वसनीय पेयजल व्यवस्था ने महिलाओं के आर्थिक अवसरों के साथ-साथ पूरे समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाया।
- सुरक्षा और शिकायत निवारण सुनिश्चित करना: स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएँ और सामुदायिक

शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत कर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित किया गया।

इन सभी पहलों ने मिलकर एक सहभागी, जवाबदेह और महिला-केंद्रित शासन मॉडल की नींव रखी।

प्राप्त परिणाम

इन केंद्रित प्रयासों से सामाजिक, संस्थागत और लैंगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

- सामाजिक परिणाम: महिलाएँ स्थानीय शासन में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में उभरीं, जिससे सामुदायिक स्वामित्व, एकता और विकास के प्रति गर्व की भावना मजबूत हुई।
- संस्थागत परिणाम: सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हुआ और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत हुआ।
- लैंगिक परिणाम: महिला नेतृत्व को व्यापक स्वीकृति मिली, लड़कियों के स्कूल नामांकन और निरंतरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा सुरक्षा और गरिमा के प्रति जागरूकता पूरे समुदाय में बढ़ी।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ईशानगर को अब जिले में "महिला सशक्तिकरण के प्रतीक" के रूप में व्यापक पहचान मिली है।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

ईशानगर का यह परिवर्तन श्रीमती निधि मिश्रा के नेतृत्व का परिणाम है, जिनका दृष्टिकोण प्रशासनिक दक्षता और समुदाय के साथ गहरे संवाद का संतुलित संयोजन है।

- समावेशी और सहभागी नेतृत्व: वे खुले संवाद को बढ़ावा देती हैं, समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं और सामूहिक निर्णय-निर्माण को प्राथमिकता देती हैं।
- मजबूत प्रशासनिक समन्वय: सामाजिक प्रतिरोध को दूर करते हुए और विभिन्न विभागों के बीच सहयोग को मजबूत कर उन्होंने समयबद्ध और जवाबदेह सेवा वितरण सुनिश्चित किया।
- संवेदनशील शासन: उनका नेतृत्व दृढ़ प्रशासन और समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आया और महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हुआ।

सरपंच की विचार

"किसी पंचायत का वास्तविक परिवर्तन केवल आधारभूत संरचना के निर्माण से नहीं होता; यह लोगों की सोच में बदलाव लाने और पूरे समुदाय में साझा स्वामित्व की भावना विकसित करने से संभव होता है।"

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता

अरजुनी ग्राम पंचायत, राज्य: महाराष्ट्र

जीपी का नाम: अरजुनी

जिला: कोल्हापुर

ब्लॉक: कागल

जीपी की जनसंख्या: 2217

सरपंच का नाम:
श्री बापू राम यादव

चुनौतियाँ

अरजुनी को मॉडल महिला हितेषी ग्राम पंचायत में बदलने के लिए महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर काम करना आवश्यक था। प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार थीं:

- सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में महिला हितेषी सुविधाओं का अभाव: महिलाओं के लिए सार्वजनिक संस्थानों में स्तनपान जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सुरक्षित और निजी स्थान उपलब्ध नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि शासन व्यवस्था में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी थी।
- मातृ स्वास्थ्य के कमजोर संकेतक: संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सीमित जागरूकता और पारंपरिक प्रथाओं के कारण कई परिवार घर पर प्रसव को प्राथमिकता देते थे, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ जाता था।
- पोषण के प्रति सीमित जागरूकता: इसके कारण "एनीमिया-मुक्त" अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन था। लंबे समय से चली आ रही भोजन संबंधी आदतें और संतुलित आहार के बारे में कम जानकारी महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की समस्या को कम करने में बाधा बन रही थीं।
- महिलाओं के लिए सीमित आर्थिक अवसर: महिलाओं के पास सामूहिक उद्यम के लिए मंच नहीं थे, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी सीमित रहती थी।

प्रमुख पहलें

इन परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ग्राम पंचायत ने कई दूरदर्शी पहलें शुरू कीं, जिनका उद्देश्य महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था।

- गरिमा के लिए बुनियादी ढाँचा: ग्राम पंचायत ने पंचायत भवन में महिलाओं के लिए विशेष स्थान स्थापित किए "पिंक रूम" (महिलाओं के मिलने और अपनी समस्याएँ साझा करने के लिए सुरक्षित स्थान) और "हिरकणी कक्ष" (स्तनपान के लिए कमरा)। इन सुविधाओं ने महिलाओं को सुरक्षित और निजी वातावरण प्रदान किया जहाँ वे सम्मानपूर्वक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और सेवाओं का उपयोग कर सकें। यह पहल पंचायत की महिलाओं के प्रति संवेदनशील और समावेशी संस्थान बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- मातृ स्वास्थ्य प्रोत्साहन: मातृ स्वास्थ्य में सुधार और घर पर प्रसव की संख्या कम करने के लिए पंचायत ने "बेबी किट" कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य उप-केंद्र में प्रसव कराने वाली हर माँ का सम्मान किया जाता है और नवजात शिशु के लिए एक किट प्रदान की जाती है। यह पहल नवजात का स्वागत करने के साथ-साथ संस्थागत प्रसव

को प्रोत्साहित करती है और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देती है।

- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से उद्यमिता: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 29 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।इन समूहों ने महिलाओं को बचत, कौशल विकास और छोटे-मोटे उद्यम शुरू करने का मंच प्रदान किया, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकीं।
- डिजिटल सुरक्षा निगरानी: महिलाओं और बालिकाओं—विशेषकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंचायत ने पूरे गाँव में सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया।

रणनीतिक रूप से लगाए गए कैमरे सार्वजनिक स्थानों की निगरानी करते हैं, जिससे छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगती है और सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है। इस पहल से परिवारों का विश्वास भी बढ़ा कि सार्वजनिक स्थान उनकी बेटियों के लिए सुरक्षित हैं।

परिणाम

समावेशी योजना और सामुदायिक सहभागिता के कारण महत्वपूर्ण और मापनीय परिणाम सामने आए।

- पंचायत गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी: महिला हितेषी सुविधाओं की उपलब्धता के कारण महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ी। इससे स्थानीय शासन अधिक समावेशी बना और महिलाएँ बिना झिझक सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग कर सकीं।
- मातृ स्वास्थ्य में सुधार: संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी, जिससे घर पर प्रसव से जुड़े जोखिम कम हुए। गाँव में रहने वाली दाई (मिडवाइफ) की उपलब्धता ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं दोनों को बेहतर देखभाल मिली।
- महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि: कौशल प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।इन समूहों ने आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, जिसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाया।
- बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा: माता-पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल जाने और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने में अधिक विश्वास दिखाया। इससे लड़कियों की शिक्षा के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बना।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

सरपंच का स्पष्ट लक्ष्य था कि अरजुनी को एक महिला-हितेषी ग्राम पंचायत बनाया जाए।

समस्याओं को अलग-अलग देखने के बजाय नेतृत्व ने समग्र दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण सभी को शामिल किया गया।

महिला हितेषी बुनियादी ढाँचे विशेषकर स्तनपान कक्ष की स्थापना से सरपंच ने महिलाओं की दैनिक जरूरतों और सम्मान को गहराई से समझते हुए शासन को अधिक समावेशी बनाया।

बेबी किट कार्यक्रम और डिजिटल सुरक्षा निगरानी जैसी पहलें यह दिखाती हैं कि सरपंच स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक और नवोन्मेषी समाधान विकसित करने में सक्षम हैं।

सरपंच के विचार

एक सचमुच विकसित गाँव वही है जहाँ सार्वजनिक स्थान, सेवाएँ और अवसर महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाए जाएँ। अरजुनी इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

बाधाओं से उपलब्धियों तक: महिला हितेषी ग्राम पंचायत का निर्माण

पहलावन ग्राम पंचायत, राज्य: मिजोरम समेकित शासन मॉडल

जीपी का नाम: पहलावन

जिला: आइजोल

ब्लॉक: डारलॉन

जीपी की जनसंख्या: 900

जीपी अध्यक्ष का नाम:
श्रीमती लालसियामथारी

चुनौतियाँ

महिला हितेषी ग्राम पंचायत पहल को लागू करते समय ग्राम पंचायत को कई संस्थागत और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

- सीमित संस्थागत क्षमता: निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाओं, को संरचित प्रशिक्षण और औपचारिक मार्गदर्शन तक बहुत कम पहुँच थी। इससे शासन प्रक्रियाओं की समझ सीमित रही और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने में उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ।
- गहरी जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड: समाज में प्रचलित पारंपरिक सोच के कारण निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सीमित रहती थी और वे ग्राम सभा की बैठकों में खुलकर अपनी बात रखने से संकोच करती थीं।
- गंभीर वित्तीय सीमाएँ: स्वयं के स्रोत से होने वाली आय (Own Source Revenue) कम होने और वित्तीय स्वायत्तता सीमित होने के कारण पंचायत के लिए लैंगिक संवेदनशील विकास पहलों की योजना बनाना और उन्हें निरंतर बनाए रखना कठिन था।
- नेतृत्व की भूमिका निभाने में झिझक: कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक मंचों के सीमित अनुभव के कारण नेतृत्व की सार्वजनिक भूमिका निभाने में संकोच महसूस करती थीं।

प्रमुख पहल

इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालसियामथारी के नेतृत्व में कई संस्थागत और सामुदायिक स्तर की पहलें की गईं:

- समावेशी ग्राम सभाओं का संस्थानीकरण: विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए नियमित ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और वंचित समूहों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के विशेष प्रयास किए गए।
- नेतृत्व क्षमता का सुदृढ़ीकरण: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल और शासन संबंधी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- वित्तीय संसाधनों का सशक्तीकरण: पंचायत ने स्वयं के स्रोत से आय को बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करके अतिरिक्त संसाधन जुटाए। इन संसाधनों का उपयोग स्वच्छता सुविधाओं और गाँव की पेयजल आपूर्ति प्रणाली में सुधार जैसे प्राथमिक कार्यों के लिए किया गया।
- विभागों के साथ साझेदारी का निर्माण: विभिन्न विभागों और सामुदायिक हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित कर पंचायत की पहलों को व्यापक विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया।

प्राप्त परिणाम

इन पहलों के परिणामस्वरूप शासन, भागीदारी और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण सुधार हुए:

- महिलाओं की भागीदारी और आवाज में वृद्धि: नियमित ग्राम सभा बैठकों, नेतृत्व प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन के कारण महिलाओं का आत्मविश्वास और भागीदारी काफी बढ़ी। महिला प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक मंचों पर अपने विचार अधिक स्पष्ट रूप से रखना शुरू किया, जिससे वे पंचायत के निर्णयों को प्रभावित करने और निर्णय-निर्माण में सक्रिय योगदान देने लगीं।
- लैंगिक संवेदनशील आधारभूत संरचना में सुधार: वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और विभिन्न योजनाओं के समन्वय से पंचायत के संसाधनों में वृद्धि हुई और महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं की कमी को दूर किया जा सका। विभागों के सहयोग से स्थानीय विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए तथा गाँव की पेयजल आपूर्ति प्रणाली को उन्नत किया गया।
- संस्थागत विश्वसनीयता में वृद्धि: शासन प्रक्रियाओं और स्थानीय आधारभूत ढाँचे में दिखाई देने वाले सुधारों से समुदाय का विश्वास बढ़ा और पंचायत की पहचान एक उभरती हुई मॉडल महिला हितेषी ग्राम पंचायत के रूप में मजबूत हुई।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

इस परिवर्तन में सरपंच के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- दूरदर्शी और सुधारोन्मुख दृष्टिकोण
- महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता
- विभिन्न योजनाओं के समन्वय और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से संसाधनों को संगठित करने की क्षमता
- पंचायत संस्थाओं के भीतर महिलाओं के नेतृत्व को लगातार प्रोत्साहन देना

इन गुणों ने महिलाओं के लिए शासन प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी का अनुकूल वातावरण तैयार किया और अधिक लैंगिक संवेदनशील पंचायत व्यवस्था की आधारशिला रखी।

सरपंच के विचार

"जब महिलाएँ ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और सीधे सरकारी विभागों से जुड़ती हैं, तो उनकी आवाज पंचायत के निर्णयों को आकार देने लगती है। समावेशन केवल प्रतीकात्मक नहीं होतायह शासन को वास्तव में बदल देता है।"

डिजिटल प्रसार
(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

जब महिलाएँ नेतृत्व करती हैं, तो समुदाय आगे बढ़ता है: शासन परिवर्तन में महिला सभाओं की शक्ति

नामंगुडा ग्राम पंचायत, राज्य: ओडिशा शासन

जीपी का नाम: नामंगुडा

जिला: गजपति

ब्लॉक: गुम्मा

जीपी की जनसंख्या: 4,883

सरपंच / जीपी अध्यक्ष का नाम:
श्रीमती पुष्पांजलि भुयान

चुनौतियाँ

महिला हितेषी ग्राम पंचायत पहल अपनाने से पहले ग्राम पंचायत में शासन और सामुदायिक गतिविधियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सीमित थी। इसका एक प्रमुख कारण यह धारणा थी कि ग्राम सभा की बैठकें केवल औपचारिक प्रक्रिया हैं, न कि निर्णय-निर्माण और स्थानीय विकास के सक्रिय मंच। इससे सामुदायिक स्वामित्व कमजोर हुआ और समुदाय की प्राथमिकताओं को तय करने में उनकी भूमिका सीमित रही।

यह समझते हुए कि स्थायी परिवर्तन समुदाय के भीतर से ही आ सकता है, सरपंच ने महिला सभाओं के नियमित आयोजन को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि महिलाएँ ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। इससे महिला सभाएँ महिलाओं की सामूहिक आवाज और नेतृत्व के प्रभावी मंच के रूप में विकसित हुईं।

नामंगुडा इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किस प्रकार लंबे समय से चली आ रही सामाजिक समस्याओं, जैसे लैंगिक आधारित हिंसा और शिक्षा में लैंगिक असमानता, को संबोधित करने की आधारशिला बन सकती है।

प्रमुख पहलें

- महिला सभाओं का नियमित आयोजन: महिला सभाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया। ये बैठकें ऐसे प्रारंभिक मंच के रूप में विकसित हुईं जहाँ महिलाएँ अपनी समस्याएँ रखती थीं, आपसी सहमति बनाती थीं और ग्राम सभा में रखने के लिए सामूहिक प्रस्ताव तैयार करती थीं।
- ग्राम सभाओं में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: ग्राम सभा बैठकों से पहले संवादात्मक गतिविधियाँ, चर्चाएँ, खेल और प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, ताकि महिलाएँ और बालिकाएँ बैठकों में भाग लेने, अपनी बात रखने और विकास पहलों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित हों।
- ग्राम सभाओं को समावेशी निर्णय-निर्माण मंच के रूप में पुनर्जीवित करना: महिला सभाओं में उठाए गए मुद्दों को ग्राम सभा की चर्चा का हिस्सा बनाया गया। इन चर्चाओं के आधार पर पंचायत ने घरेलू हिंसा के खिलाफ "शून्य सहनशीलता" (Zero Tolerance) का प्रस्ताव पारित किया।

इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए महिला सहायता डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार, बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की अधिक दर को देखते हुए पंचायत ने जागरूकता अभियान, पारिवारिक परामर्श और सामुदायिक सहभागिता जैसी पहलें शुरू कीं, ताकि बालिकाओं की शिक्षा जारी रहे और वे स्कूल में बनी रहें।

प्राप्त परिणाम

महिला सभाओं और ग्राम सभाओं के माध्यम से शासन में महिलाओं की सार्थक भागीदारी ने परिवर्तनकारी परिणाम दिए।

- लोकतांत्रिक सहभागिता में वृद्धि: महिलाओं और युवाओं ने ग्राम सभाओं को अब केवल औपचारिक बैठकों के बजाय नीति-निर्माण और विकास एजेंडा तय करने के सक्रिय मंच के रूप में देखना शुरू किया। इससे शासन प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी और जुड़ाव बढ़ा।
- सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में सुधार: ग्राम सभा में महिलाओं के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों ने पंचायत को अधिक सुरक्षित, समावेशी और संवेदनशील समुदाय में बदलने में मदद की।
- घरेलू हिंसा के विरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रस्ताव और महिला सहायता डेस्क की स्थापना से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था मजबूत हुई और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बना।
- शिक्षा में समानता और समावेशन: शासन प्रक्रियाओं और ग्राम सभाओं में निरंतर सहभागिता के परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित हुई। इससे शिक्षा में लैंगिक असमानता कम हुई और दीर्घकालिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।

इन पहलों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत एक मॉडल महिला हितेषी ग्राम पंचायत के रूप में उभरी, जो यह दर्शाती है कि शासन में महिलाओं को सशक्त बनाना सीधे तौर पर सुरक्षा, न्याय और समानता को आगे बढ़ाता है।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

सरपंच श्रीमती पुष्पांजलि भुयान का नेतृत्व समावेशी, संवेदनशील और न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- जमीनी स्तर पर सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण
- महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता
- शिक्षा में लैंगिक समानता को लगातार बढ़ावा देना

उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने महिलाओं की आवाज और युवाओं की सहभागिता को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से जोड़ा, जिससे पंचायत की पहचान एक महिला हितेषी संस्था के रूप में मजबूत हुई।

सरपंच के विचार

“पंचायतें समावेशन को बढ़ावा देकर, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करके, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और महिलाओं तथा कमजोर समुदायों की आवाज को सशक्त बनाकर स्थायी प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं।”

डिजिटल प्रसार
(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

समेकित विकास पहलों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

रूरका कलां ग्राम पंचायत, राज्य: पंजाब आर्थिक सशक्तिकरण

जीपी का नाम: रूरका कलां

जिला: जालंधर

ब्लॉक: रूरका कलां

जीपी की जनसंख्या: 7,467

राज्य: पंजाब

सरपंच / जीपी अध्यक्ष का नाम:
अकविंदर कौर

चुनौतियाँ

ग्राम पंचायत रूरका कलां को महिलाओं के सशक्तिकरण को सतत आजीविका और आर्थिक समावेशन के माध्यम से आगे बढ़ाने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

एक प्रमुख समस्या यह थी कि महिलाओं के पास संगठित कौशल विकास और आय सृजन के अवसरों तक सीमित पहुँच थी, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाज़ार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करना तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना प्रमुख मुद्दे बनकर उभरे।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं के समग्र विकास के लिए पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक जागरूकता तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना भी आवश्यक था। पंचायत की प्राथमिकता यह थी कि ऐसा सहायक और सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए जहाँ महिलाएँ आत्मविश्वास के साथ उद्यमिता और कौशल-आधारित कार्यों में आगे बढ़ सकें।

प्रमुख पहलें

सरपंच अकविंदर कौर के गतिशील नेतृत्व में ग्राम पंचायत रूरका कलां ने कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित एक संगठित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया।

- कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत: पंचायत ने महिलाओं के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तथा ब्यूटी और वेलनेस सेवाओं का प्रशिक्षण शामिल था। इन प्रशिक्षणों ने महिलाओं को स्वरोज़गार और छोटे उद्यम शुरू करने के अवसर प्रदान किए।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा: रोजगार के अवसरों को विविध बनाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण को स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल रोजगार क्षमता बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और जानकारी तक पहुँच को बेहतर बनाना भी था।
- स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा: यह समझते हुए कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी आवश्यक है, पंचायत ने नियमित स्वास्थ्य शिविर, नेत्र जाँच शिविर और योग सत्र आयोजित किए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण समर्थन को मजबूत किया गया, ताकि महिलाएँ और बालिकाएँ शिक्षा तथा कौशल विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

- कचरा प्रबंधन पहलें: पंचायत ने घरों में कचरा गड्ढों (वेस्ट पिट्स) के निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से कचरा प्रबंधन को बढ़ावा दिया, जिससे गाँव में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद मिली।
- ग्राम रक्षा समिति की स्थापना: महिलाओं के आत्मविश्वास और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम रक्षा समिति का गठन किया गया। महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा समिति के सदस्यों को सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे संकट की स्थिति में दूसरों की सहायता कर सकें।

परिणाम

संगठित कौशल विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 150 से अधिक महिलाओं को आय सृजन के अवसर प्राप्त हुए। कई लाभार्थियों ने घर-आधारित छोटे उद्यम शुरू किए या स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त किया, जिससे उनके परिवार की आय में योगदान बढ़ा और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मजबूत हुई। इन पहलों ने गाँव की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई और जमीनी स्तर पर सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित किया।

- डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण से महिलाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई। अब महिलाएँ डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके सरकारी योजनाओं तक पहुँच, डिजिटल भुगतान प्रबंधन, रोजगार अवसरों की खोज तथा अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने में सक्षम हो रही हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और आर्थिक निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता भी मजबूत हुई है।
- स्वास्थ्य शिविरों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण समर्थन ने महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार किया है। इससे वे शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियों में निरंतर भाग ले पा रही हैं।
- कचरा प्रबंधन पहलों, विशेष रूप से घरेलू कचरा गड्ढों के निर्माण से गाँव में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बना है। बेहतर स्वच्छता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया, बीमारियों की संभावना को कम किया और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया, जिससे महिलाओं की उत्पादकता और सामुदायिक सहभागिता बढ़ी।
- ग्राम रक्षा समिति के गठन और सुरक्षा प्रशिक्षण से महिलाओं की सुरक्षा की भावना और सामूहिक जिम्मेदारी मजबूत हुई है। आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ने से महिलाएँ सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधियों में अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग ले रही हैं।
- कुल मिलाकर, कौशल विकास, डिजिटल समावेशन, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार और सुरक्षा उपायों के समन्वय ने रूरका कलां में एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। पंचायत के समेकित दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि निरंतर आर्थिक भागीदारी, बेहतर जीवन-स्तर और सामुदायिक आत्मविश्वास के माध्यम से मजबूत हो।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

अकविंदर कौर एक सक्रिय और दूरदर्शी नेता हैं, जो महिलाओं और बच्चों के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं। उनका नेतृत्व सहभागितापूर्ण और समुदाय-केंद्रित है, जो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करता है।

वे समावेशी विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाती हैं, जिसमें कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और सतत आजीविका के अवसरों का निर्माण विशेष रूप से प्रमुख है।

सरपंच के विचार

“हर लड़की को शिक्षित, कुशल और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसर और सहयोग प्रदान करें।”

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

संकल्प से प्रभाव तक: महिला हितेषी ग्राम पंचायत का निर्माण

मेड़ता ग्राम पंचायत, राज्य: राजस्थान शासन

जीपी का नाम: मेड़ता ग्राम पंचायत

जिला: उदयपुर

ब्लॉक: (उदयपुर जिले का संबंधित ब्लॉक)

जीपी की जनसंख्या: 2391

प्रधान का नाम:
श्री भगवती लाल भील

चुनौतियाँ

मजबूत संकल्प के बावजूद महिला हितेषी ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कई संरचनात्मक और कार्यात्मक बाधाएँ सामने आईं:

- सीमित समझ: फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों में लैंगिक मुद्दों, महिला हितेषी शासन की अवधारणा तथा इसे आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को लेकर सीमित समझ थी।
- समन्वय की कमी: पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मामलों में समन्वय की कमी बनी हुई थी।
- विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर अस्पष्टता: कई फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और PRI सदस्यों को महिलाओं और बालिकाओं के विकास से संबंधित विभागीय कार्यों, गतिविधियों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी।
- इन चुनौतियों ने यह स्पष्ट किया कि संरचित समन्वय, स्पष्ट जवाबदेही और निरंतर लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

प्रमुख पहलें

- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए श्री भगवती लाल भील के नेतृत्व में पंचायत ने समन्वय, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक व्यवस्थित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया।
- समन्वय मंच का गठन : महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-हितधारक मंच स्थापित किया गया। इस मंच में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, PRI सदस्य, सरकारी अधिकारी, शिक्षक और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, जो मिलकर महिलाओं के कल्याण के लिए योजना बनाते और कार्य करते थे।
- कोर ग्रुप का गठन: पंचायत के भीतर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता (साथिन, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक), सक्रिय महिलाएँ और पुरुष तथा सामुदायिक नेता शामिल थे। यह समूह लैंगिक संवेदनशील योजना और क्रियान्वयन का मुख्य प्रेरक बना।
- लैंगिक अभिमुखीकरण और भूमिका स्पष्टता : कोर ग्रुप के सदस्यों को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया गया और उन्हें महिला हितेषी पंचायत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इससे जागरूकता और जवाबदेही दोनों मजबूत हुईं।

- नियमित मासिक बैठकों का संस्थानीकरण : कोर ग्रुप ने नियमित मासिक बैठकें आयोजित करना शुरू किया। महिला सभाओं और ग्राम सभाओं में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता दी जाती और ठोस कार्यों में परिवर्तित किया जाता। इन गतिविधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया गया, जिससे उन्हें संस्थागत समर्थन और संसाधन उपलब्ध हो सके।
- सुरक्षा ऑडिट और सुधारात्मक कार्रवाई : कोर ग्रुप ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की पहचान करने हेतु सुरक्षा ऑडिट किया। इसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिससे समुदाय में अधिक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाया जा सके।
- बहु-विभागीय सशक्तिकरण प्रयास : कोर ग्रुप ने विभिन्न विभागों के सहयोग से कई पहलें संचालित कीं, जिनमें शामिल हैं, महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर बालिकाओं के लिए अलग और कार्यशील शौचालय सुनिश्चित करना, संवेदनशील स्थानों पर सड़क लाइट और सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना, बालिकाओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए सड़कों के किनारे की झाड़ियों को हटाना, किशोरियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा का आयोजन, बालिकाओं को कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना
- इन पहलों ने मिलकर महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।

परिणाम

कोर ग्रुप के निरंतर प्रयासों से कई सकारात्मक और मापनीय परिणाम सामने आए:

- पंचायती राज संस्थाओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और जवाबदेही मजबूत हुई।
- महिलाओं के विकास से जुड़े संकेतकों और पहलों के बारे में जानकारी साझा करने की प्रक्रिया बेहतर हुई।
- महिला सभा बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे संस्थागत समावेशन मजबूत हुआ।
- सीसीटीवी कैमरों और सड़क लाइटों की स्थापना से सार्वजनिक सुरक्षा और समुदाय का विश्वास बढ़ा।
- स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों के निर्माण से सम्मान और सुविधा में सुधार हुआ।
- जो बालिकाएँ स्कूल छोड़ चुकी थीं, उन्हें राज्य मुक्त विद्यालय प्रणाली में पुनः नामांकित किया गया, जबकि कुछ अन्य को कौशल विकास पाठ्यक्रमों में जोड़ा गया।
- ये परिणाम दर्शाते हैं कि स्थानीय शासन में बिखरे हुए प्रयासों से समन्वित और लैंगिक संवेदनशील शासन प्रणाली की ओर स्पष्ट परिवर्तन हुआ है।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

सरपंच ने निम्नलिखित नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया:

- दूरदर्शी प्रतिबद्धता – पंचायत को महिला हितैषी और समावेशी संस्था में बदलने के लिए स्पष्ट और निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई।
- जवाबदेही-उन्मुख दृष्टिकोण – PRI सदस्यों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रेरित किया।
- सहयोगात्मक नेतृत्व – विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया और सामूहिक योजना व कार्रवाई को प्रोत्साहित किया।
- लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण – सभी विकास पहलों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी।
- सक्रिय समस्या-समाधान – महिला सभाओं, ग्राम सभाओं और सुरक्षा ऑडिट में पहचानी गई समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण – ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में महिला-केंद्रित प्राथमिकताओं को शामिल करने को बढ़ावा दिया।

प्रधान की सलाह

"महिला हितैषी पंचायत सामूहिक जिम्मेदारी, समावेशी योजना और प्रतिबद्ध नेतृत्व के माध्यम से ही बनाई जा सकती है।

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

Core Group

सुरक्षित स्थान, मजबूत आवाज़ें: महिलाओं के अनुकूल पंचायत की ओर रारह की यात्रा

ग्राम पंचायत: रारह

राज्य: राजस्थान

जिला: डीग

ब्लॉक: कुम्हेर

पंचायत की जनसंख्या: 6973

सरपंच का नाम:
कुसुम सिंह

चुनौतियाँ

रारह ग्राम पंचायत को महिलाओं के अनुकूल पंचायत बनाने की यात्रा आसान नहीं थी। इसके लिए लंबे समय से चली आ रही सामाजिक धारणाओं और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ा, जो महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सीमित करती थीं।

सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि महिलाओं और लड़कियों को घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक प्रतिबंधों के कारण कई लड़कियाँ ग्राम सभा बैठकों या सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाती थीं।

सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का मुद्दा भी एक बड़ी चिंता था। महिलाओं के लिए यह आवश्यक था कि गांव का वातावरण ऐसा हो जहाँ वे स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें।

इसके साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, ताकि वे खुलकर अपनी राय व्यक्त कर सकें और शासन की प्रक्रियाओं में भाग ले सकें। कई महिलाएँ ग्राम सभा में बोलने से झिझकती थीं। इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार जागरूकता अभियान, विश्वास निर्माण और ऐसे मंचों की आवश्यकता थी जहाँ महिलाएँ सम्मानपूर्वक अपनी बात रख सकें।

पहल

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए रारह ग्राम पंचायत ने कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू कीं, जिनका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सशक्त वातावरण तैयार करना था।

लड़कियों को प्रारंभ से सशक्त बनाना

स्कूल स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण और "अच्छा – बुरा स्पर्श" के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों से लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा की समझ मिली और वे कम उम्र से ही सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित हुईं। इसके अलावा पंचायत ने लड़कियों के लिए ई-लाइब्रेरी शुरू की, जहाँ संदर्भ पुस्तकों और अध्ययन सामग्री का ऑनलाइन संग्रह उपलब्ध कराया गया।

सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना

पंचायत ने सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना, सड़कों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण इन सुधारों से सार्वजनिक स्थान अधिक सुरक्षित हुए और महिलाओं को गांव में स्वतंत्र रूप से आने-जाने का विश्वास मिला।

अधिकारों और योजनाओं के बारे में जागरूकता

पंचायत ने महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। इस जानकारी ने महिलाओं को विकास योजनाओं का लाभ लेने और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाया।

महिलाओं की आवाज़ के लिए विशेष मंच

महिलाओं और लड़कियों के लिए महिला सभा और विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इन बैठकों में महिलाओं को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण मिला जहाँ वे अपनी समस्याएँ और विचार साझा कर सकें। इन मंचों ने धीरे-धीरे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया और बाद में वे सामान्य ग्राम सभा बैठकों में भी अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं।

परिणाम

रारह ग्राम पंचायत की इन पहलों से गांव में महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगे।

स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

महिला सभाओं और महिलाओं के लिए आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के कारण अब महिलाएँ पंचायत के निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वे अब सुरक्षा, कल्याण और विकास से जुड़े मुद्दों को आत्मविश्वास के साथ उठाती हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ी सुरक्षा की भावना

सीसीटीवी निगरानी, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और अच्छी सड़कों के कारण गांव में सुरक्षा का स्तर बढ़ा है। अब महिलाएँ और लड़कियाँ पंचायत क्षेत्र में अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं और शिक्षा, सामुदायिक गतिविधियों तथा बैठकों में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती हैं।

शिक्षा के प्रति बढ़ी प्रेरणा

आत्मरक्षा प्रशिक्षण, स्कूल आधारित जागरूकता कार्यक्रम और पंचायत की ई-लाइब्रेरी जैसी पहलों ने लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। गांव की कई युवा महिलाओं ने विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार भी प्राप्त किया है, जो बढ़ती आकांक्षाओं और बेहतर सीखने के अवसरों को दर्शाता है।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता

अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के कारण महिलाएँ आजीविका के अवसरों के बारे में अधिक जागरूक हुई हैं। परिणामस्वरूप कई महिलाओं ने अपने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनी हैं।

सशक्तिकरण और सम्मान की नई संस्कृति

इन सभी पहलों ने मिलकर रारह के सामाजिक वातावरण को बदल दिया है।

आज महिलाएँ अधिक दृश्य, आत्मविश्वासी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं।

इस तरह रारह पंचायत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है।

सरपंच का नेतृत्व

सरपंच कुसुम सिंह के नेतृत्व ने रारह को एक आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं को सशक्त बनाने की स्पष्ट सोच के साथ उन्होंने ऐसी पहलों को आगे बढ़ाया है जो महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, भागीदारी और अवसरों को प्राथमिकता देती हैं। उनकी संवेदनशील और जिम्मेदार कार्यशैली, साथ ही ठोस कदम उठाने और परिणाम प्राप्त करने की प्रतिबद्धता ने पंचायत को विचारों को जमीन पर वास्तविक बदलाव में बदलने में मदद की है। समुदाय का भरोसा मजबूत करते हुए, शासन की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज़ को स्थान देते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास की पहल सबको साथ लेकर चलें तथा महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें, उन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले नेतृत्व का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है।

सरपंच की दृष्टि

“वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब महिलाएँ सुरक्षित महसूस करते हुए आगे बढ़ती हैं, अपनी बात रखती हैं और नेतृत्व करती हैं। जब महिलाएँ आगे बढ़ती हैं, तब पूरा गांव आगे बढ़ता है।”

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा

थामल ग्राम पंचायत, राज्य: तमिलनाडु
शिक्षा और कौशल विकास

जीपी का नाम: थामल

जिला: कांचीपुरम

ब्लॉक: कांचीपुरम

जीपी की जनसंख्या: 8332

सरपंच / जीपी अध्यक्ष का नाम:
एस. शन्मुगम

चुनौतियाँ

महिला हितेषी ग्राम पंचायत पहल शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- अपर्याप्त आधारभूत संरचना: पंचायत के स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं और प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव था, जिससे छात्रों के सीखने के अवसर सीमित हो रहे थे।
- छात्रों का अधिक ड्रॉपआउट: अभिभावकों और विद्यालयों के बीच कमजोर संवाद तथा स्कूल प्रबंधन समितियों की निष्क्रियता के कारण छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक थी।
- पंचायत गतिविधियों में महिलाओं की सीमित भागीदारी: बाल सभाओं और महिला सभाओं का नियमित आयोजन न होने के कारण महिलाओं और युवाओं की योजना निर्माण और स्थानीय समस्याओं के समाधान में भागीदारी सीमित थी।

प्रमुख पहलें

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरपंच एस. शन्मुगम के सक्षम नेतृत्व में पंचायत ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें निम्नलिखित पहलें शामिल थीं:
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा: बाल सभाओं और महिला सभाओं का आयोजन किया गया, ताकि बच्चों, युवाओं और महिलाओं को योजना निर्माण और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इससे विकास पहलें अधिक समावेशी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकीं।
- विद्यालय आधारभूत संरचना के लिए संसाधन जुटाना: स्कूलों की आधारभूत संरचना और शिक्षण संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए विधायक और मंत्रियों के सहयोग, विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाए गए।
- शासन तंत्र को मजबूत करना: अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA), स्कूल प्रबंधन समितियाँ, पूर्व छात्र संघ और छात्र संगठनों जैसे संस्थागत तंत्रों को सक्रिय किया गया, जिससे जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी बढ़ी।
- छात्रों और अभिभावकों से नियमित संपर्क: नियमित अनुवर्ती कार्यवाही, अभिभावक बैठकों और छात्र परामर्श के माध्यम से अभिभावकों की भागीदारी मजबूत की गई, ड्रॉपआउट कम हुए और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

प्राप्त परिणाम

इन संयुक्त प्रयासों से शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले।

- सतत सामुदायिक सहभागिता: बाल सभाओं, महिला सभाओं और अन्य शासन मंचों में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से सामूहिक निर्णय-निर्माण और जवाबदेही मजबूत हुई।
- आधारभूत संरचना में सुधार: विद्यालयों में कक्षाओं का नवीनीकरण किया गया, प्रयोगशाला और प्रार्थना कक्ष स्थापित किए गए तथा सुरक्षित पेयजल के लिए आरओ (RO) सुविधाएँ स्थापित की गईं।
- छात्रों की निरंतर उपस्थिति: पिछले कुछ वर्षों में पंचायत के सभी स्कूलों में शून्य ड्रॉपआउट दर्ज किया गया, जिससे प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित हुई।
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए कौशल विकास: महिला सभाओं और बाल सभाओं में लिए गए निर्णयों के आधार पर युवाओं के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे शिक्षा के साथ-साथ सशक्तिकरण के अवसर भी बढ़े।

प्रधान के नेतृत्व के गुण

- सरपंच ने दूरदर्शी और समाधान-उन्मुख नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं:

- निरंतर सहभागिता: समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाल सभाओं और महिला सभाओं का नियमित आयोजन।
- व्यवस्थित समस्या-समाधान: सामुदायिक समस्याओं को औपचारिक प्रस्तावों में बदलकर विभिन्न योजनाओं से संसाधन जुटाना और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

सरपंच के विचार

“सफलता अलग-थलग प्रयासों से नहीं, बल्कि सहयोग से बनती है। यह तब फलती-फूलती है जब नागरिक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन मिलकर कार्य करते हैं।”

डिजिटल प्रसार
(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

असुरक्षा से आवाज़ तक: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की ओर पंचायत की यात्रा

कंचनबाड़ी ग्राम पंचायत, राज्य: त्रिपुरा

सुरक्षा और संरक्षण

जीपी का नाम: कंचनबाड़ी ग्राम पंचायत

जिला: उनाकोटी जिला

ब्लॉक: कुमारघाट आरडी ब्लॉक

जीपी की जनसंख्या: 2,581

प्रधान का नाम:
श्रीमती शेली भट्टाचार्जी (चौधरी)

चुनौतियाँ

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के प्रयासों में ग्राम पंचायत को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा:

- असुरक्षित सार्वजनिक स्थान: सुरक्षित और प्रभावी निगरानी वाले सार्वजनिक स्थानों की कमी के कारण महिलाएँ और बालिकाएँ छेड़छाड़ और हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील थीं।
- कमजोर सामुदायिक सुरक्षा तंत्र: महिलाओं, बालिकाओं और संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक सतर्कता, साझा जिम्मेदारी और समन्वित कार्रवाई पर आधारित सामुदायिक तंत्र सीमित थे।
- अधिकारों के प्रति सीमित जागरूकता: कई महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं, सुरक्षा कानूनों और शिकायत निवारण तंत्र की पर्याप्त जानकारी नहीं थी, जिससे हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय और सहायता सेवाओं तक पहुँच कठिन हो जाती थी।
- प्रतिबंधात्मक सामाजिक मान्यताएँ: गहरी जड़ें जमाए पारंपरिक सामाजिक मानदंडों ने महिलाओं की आवाजाही को सीमित किया और सार्वजनिक जीवन तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को बाधित किया।

प्रमुख पहलें

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए श्रीमती शेली भट्टाचार्जी के नेतृत्व में पंचायत ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आधारित अधिकार-आधारित शासन कार्यक्रम लागू किया।

- अधिकार जागरूकता अभियान: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए।
- सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करना: ग्राम महिला सुरक्षा समितियाँ (VWSCs) गठित की गईं और ग्राम बाल संरक्षण समितियाँ (VCPCs) तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियाँ (VHSNCs) को सक्रिय किया गया, जिससे सामुदायिक निगरानी और साझा जिम्मेदारी को मजबूत किया जा सके।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग: कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय तंत्र विकसित किया गया, ताकि हिंसा के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग, सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

- स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन: महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं और चिंताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल करने के लिए उनकी पंचायत गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।
- सुरक्षा आधारभूत संरचना में सुधार: असुरक्षित क्षेत्रों और संभावित जोखिमों की पहचान के लिए सुरक्षा ऑडिट किए गए और उनके आधार पर आवश्यक आधारभूत ढाँचे में सुधार किए गए।

प्राप्त परिणाम

पंचायत के केंद्रित प्रयासों से कई सकारात्मक और मापनीय परिणाम सामने आए:

- सुरक्षा और संरक्षण में सुधार: सुरक्षा उपायों की स्थापना और सक्रिय सामुदायिक निगरानी से महिलाओं और बालिकाओं के लिए सार्वजनिक स्थान अधिक सुरक्षित बने।
- घटनाओं की रिपोर्टिंग और त्वरित प्रतिक्रिया में वृद्धि: ग्राम स्तर की सुरक्षा समितियों ने महिलाओं को घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अधिकारियों द्वारा अधिक समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई संभव हुई।
- जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि: जागरूकता अभियानों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बेहतर जानकारी दी, जिससे वे सेवाओं तक पहुँचने, भेदभाव को चुनौती देने और सशक्त बनने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगीं।
- समावेशी शासन: पंचायत गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की संस्कृति को मजबूत किया।
- आधारभूत संरचना में सुधार: सुरक्षा ऑडिट के आधार पर उच्च जोखिम वाले स्थानों पर ट्यूब लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे प्रमुख सुरक्षा जोखिमों को कम किया गया।

प्रधान के नेतृत्व के गुण

प्रधान ने अपने नेतृत्व में संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण: समुदाय के सभी सदस्यों विशेषकर महिलाओं और वंचित समूहों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देना।
- सशक्तिकरण पर केंद्रित दृष्टिकोण: महिलाओं को निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाना और उनकी आवाज को सशक्त करना।
- सक्रिय सहभागिता: सभी नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत और सामुदायिक तंत्रों को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता।

प्रधान के विचार

"महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा एक समृद्ध और समानतापूर्ण समाज के निर्माण की आधारशिला है।"

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

महिलाओं के नेतृत्व से परिवर्तन की दिशा

राजपुर ग्राम पंचायत, राज्य: उत्तर प्रदेश
समेकित शासन मॉडल

जीपी का नाम: राजपुर

जिला: हाथरस

ब्लॉक: हाथरस

जीपी की जनसंख्या: 1963 (जनगणना 2001)

सरपंच / प्रधान / जीपी अध्यक्ष का नाम:
सुश्री प्रियंका तिवारी

चुनौतियाँ

राजपुर ग्राम पंचायत की महिला हितेषी पंचायत बनने की यात्रा में कई गहरी संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित थीं:

- शासन में महिलाओं की कम भागीदारी: पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं के कारण पंचायत के निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सीमित थी। योजना निर्माण मंचों पर महिलाओं की आवाज़ अक्सर कम सुनाई देती थी, जिससे उनकी आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करने वाली नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना कठिन हो जाता था।
- स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जुड़े अंतराल: मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करना तथा महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों का विस्तार करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी।
- संसाधनों और आधारभूत संरचना की कमी: पंचायत को स्वच्छता प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़कों और सुरक्षा अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निधियों के निर्गमन में देरी और स्थानीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण महिलाओं की सुरक्षा, आवाजाही और सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने वाले विकास कार्यों की गति धीमी हो जाती थी।

प्रमुख पहलें

इन चुनौतियों से निपटने के लिए राजपुर ग्राम पंचायत ने शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल करते हुए कई नवोन्मेषी, समावेशी और समन्वित पहलें लागू कीं।

- शासन में भागीदारी : पंचायत ने महिला सभाओं और बाल सभाओं को नियमित मंचों के रूप में संस्थागत बनाया, ताकि सहभागितापूर्ण योजना निर्माण और समावेशी शासन को बढ़ावा मिल सके। इन मंचों ने महिलाओं, किशोरों और बच्चों को अपनी समस्याएँ रखने, ग्राम विकास योजनाओं में योगदान देने और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए।
- स्वास्थ्य और पोषण : आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ किया गया और पोषण ट्रैकर के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया गया। पंचायत ने गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव और नियमित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) के आयोजन के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित की। बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार को भी बढ़ावा दिया गया।
- शिक्षा और कौशल विकास :युवाओं, विशेषकर बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत ने डिजिटल शिक्षण सुविधाएँ, कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम, पुस्तकालय सहायता प्रणाली और मार्गदर्शन पहल शुरू कीं। बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव

जैसी सामाजिक समस्याओं को संबोधित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए गए, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी।

- आर्थिक अवसरों तक पहुँच : महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं को मनरेगा (MGNREGA) के तहत रोजगार के अवसरों से जोड़ने के प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त, कचरे से संपदा (Waste-to-Wealth) की अभिनव पहलों के अंतर्गत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई, खाद गड्ढों का निर्माण, प्लास्टिक बैंक तथा ई-रिक्शा आधारित कचरा संग्रहण प्रणाली स्थापित की गई। इन पहलों ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी उत्पन्न किए।
- सुरक्षा और संरक्षण : महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए।
- इसके साथ ही महिलाओं के हेल्पलाइन नंबर और वन स्टॉप सेंटर के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

परिणाम

सरपंच सुश्री प्रियंका तिवारी द्वारा अपनाए गए समेकित और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और मापनीय उपलब्धियाँ हासिल हुईं।

- महिला सभाओं और बाल सभाओं के संस्थानीकरण के माध्यम से शासन में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे अधिक समावेशी निर्णय-निर्माण और सहभागितापूर्ण योजना निर्माण संभव हुआ।
- आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल और बेहतर स्वच्छता प्रथाओं के कारण मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ।
- शिक्षा और जागरूकता पहलों ने बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाई और बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को कम करने में मदद की।
- कचरा प्रबंधन और 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल ने गाँव को अधिक स्वच्छ और हरित बनाया तथा महिलाओं के आर्थिक अवसरों में वृद्धि की।
- 60 सौर स्ट्रीट लाइट और 44 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और आवाजाही में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

समग्र रूप से, राजपुर ग्राम पंचायत एक प्रगतिशील और अनुकरणीय महिला हितेषी ग्राम पंचायत मॉडल के रूप में उभरी है, जो यह दर्शाती है कि सामुदायिक सहभागिता, नवाचार और मजबूत नेतृत्व ग्रामीण शासन को प्रभावी रूप से बदल सकते हैं।

सरपंच के नेतृत्व के गुण

सुश्री प्रियंका तिवारी ने दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत सामुदायिक संगठित करने की क्षमता और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

उनकी नेतृत्व शैली पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं के समन्वय और सहभागितापूर्ण शासन पर आधारित है।

सरपंच के विचार

“नियमित महिला सभाएँ और योजना निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी समावेशी जमीनी शासन की आधारशिला हैं। पंचायतों को टिकाऊ विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और आजीविका के अवसरों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि सशक्त और वास्तव में महिला हितेषी समुदायों का निर्माण किया जा सके।”

डिजिटल प्रसार

(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)

महिला सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य और शून्य अपशिष्ट की दिशा में परिवर्तन

टकलिंग ग्राम पंचायत, राज्य: पश्चिम बंगाल

विषय: स्वास्थ्य एवं पोषण

ग्राम पंचायत का नाम: टकलिंग I

जिला: दार्जिलिंग

ब्लॉक: रंगली रंगलीओट

ग्राम पंचायत की जनसंख्या: 3,466

प्रधान का नाम:
श्रीमती चांदनी तमांग

चुनौतियाँ

टकलिंग ग्राम पंचायत को महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अनियमित प्रसव पूर्व जांच (ANC), संस्थागत प्रसव की कम दर, पोषण की कमी तथा किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की व्यापक समस्या के कारण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन परिवहन की सुविधा सीमित थी और मातृ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी कम थी।

इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे के उचित प्रबंधन का अभाव था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं।

प्रमुख पहल

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए टकलिंग ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती चांदनी तमांग ने कई महत्वपूर्ण और समन्वित पहलें शुरू कीं।

- मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम: गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित किया गया और नियमित प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराई गई। गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी की गई तथा उन्हें पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई। सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया।
- आपातकालीन सहायता: गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए "मातृजान" एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
- एनीमिया की रोकथाम: किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को कम करने के लिए स्कूलों में आयरन सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम चलाया गया और पोषण संबंधी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।
- स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान: महिलाओं और बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए, जिनमें स्वास्थ्य जांच, परामर्श और जागरूकता गतिविधियाँ शामिल थीं।
- सतत कचरा प्रबंधन: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया गया। वे घर-घर से प्लास्टिक कचरा एकत्रित करती हैं, उसका पृथक्करण करती हैं और उसे तकदाह स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर तक पहुँचाती हैं।

इसके अलावा, महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के

लिए सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। ग्राम पंचायत ने सयोग संघा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी मार्गदर्शन, नवीन आजीविका के विचार तथा वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा मिला।

परिणाम

ग्राम पंचायत की इन पहलों से कई महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम सामने आए:

- शून्य मातृ मृत्यु: यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सुरक्षित गर्भावस्था और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने का परिणाम है।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार: बेहतर पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच के कारण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- पर्यावरणीय स्थिरता: महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के कारण ग्राम पंचायत को "जीरो वेस्ट ग्राम पंचायत" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से टकलिंग ग्राम पंचायत ने चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए एक स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ समुदाय के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

प्रधान के नेतृत्व की विशेषताएँ

- श्रीमती चांदनी तमांग के नेतृत्व ने टकलिंग ग्राम पंचायत को महिला-केंद्रित पंचायत के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता देना
- महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
- समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप जनभागीदारी आधारित विकास सुनिश्चित करना

प्रधान के विचार

"महिलाओं के स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य में निवेश करने से परिवार मजबूत होते हैं, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ तथा सशक्त समुदाय का निर्माण होता है।"

डिजिटल प्रसार
(आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ प्रथाओं का वीडियो देखने के लिए स्कैन करें।)